सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2022 / 02

दर्ज तिथिः— 04.01.2022

1. राजवीर सिंह पुत्र श्री जुगल सिंह जाति राजपूत निवासी दान्दू, तहसील व जिला चूरू (राज)

.....प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी
2. जयसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज)
3. नेमीचंद पुत्र श्री बजरंगलाल जाति जांगिड निवासी दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज)
4. अछन कंवर पत्नी गंगा सिंह जाति राजपूत निवासी दान्द्र तहसील व जिला चूरू (राज)
5. गंगा सिंह पुत्र करणी सिह जाति राजपूत निवासी दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज)
6. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घांघ तहसील व जिला चूरू (राज)
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चूरू (राज)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज)

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री आदित्यसिंह राठौड़
अप्रार्थी सं. 2, 4:— श्री दिलीप पोद्दार
अप्रार्थी सं. 5:— श्री ऋषिराजसिंह शेखावत
अप्रार्थी सं. 3:—श्री विक्रमसिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

निर्णय तिथिः— 17.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी वर्तमान रूप से दान्दू तहसील व जिला चूरू का निवासी है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 तादादी 8.1569 हैक्टयेर व खसरा नम्बर 133 तादादी 1.8717 हैक्टयेर कुल किता 02 कुल

तादादी 10.0286 हैक्टेयर वाके रोही दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज) में स्थित है. जिसके वर्तमान खाता संख्या 139 व पुराने खाता संख्या 137 है।

2. प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा एवं काश्त स्वयं प्रार्थी का ही है तथा लगातार उक्त कृषि भूमि को काश्त करता चला आ रहा है।
3. प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के पड़ौस में पश्चिम तरफ कृषि भूमि 148, उत्तर में कृषि भूमि 563 / 132, पूर्व में खसरा नम्बर 134 रास्ता भूमि तथा दक्षिणी में खसरा नम्बर 144 है,। प्रार्थना पत्र में उक्त कृषि भूमियों के खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है।
4. प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो तरफ खातेदारों ने उक्त भूमि के सीमाचिन्ह नष्ट कर दिये है, तथा सीमा को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद व तनाव रहता है। इसलिये प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी भूमि को चारो सीमाओं का सींमाकन करवाकर पत्थरगढी करवा लेवे, जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
5. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं को नष्ट नहीं करे तथा नापकर सीमातय करवा लेवे परन्तु वे पहले तो टालमटोल करते रहे, अन्त में दिनांक 02.01.2022 को ऐसा करने से इंकार कर दिया, लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल है।
6. सभी प्रकिया तहसीलदार चूरू के माध्यम से होनी है, जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को बतौर अप्रार्थीगण संख्या 08 बनाया गया है।
7. प्रार्थी पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिये निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिये तैयार है, तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगें, तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।
8. विवादित कृषि भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
9. अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 113 तादादी 8.1569 हैक्टयेर व खसरा नम्बर 133 तादादी 1.8717 हैक्टयेर कुल किता 02 कुल तादादी 10.0288 हैक्टेयर वाके रोही दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज) की चारो सीमाओं का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) करवाई जावें एवं प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है। श्रीमानजी की कृपा होगी।

10. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप पोद्दार ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 ... । अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। ... पंचायत दान्दू में नये पंचायत भवन का निर्माण आबादी भूमि में ... हैक्ट. बारानी में किया गया है। ग्रामपंचायत दान्दू द्वारा उक्त 1 बीघा भूमि की चार दीवारी का निर्माण भी पूर्ण रूप से किया हुआ है। ग्रामपंचायत भवन दान्दू के आस पास भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाता है तो ग्रामपंचायत दान्दू को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 की जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें खसरा संख्या 113 व 133 रोही दान्दू की चारों सीमाओं का सीमांकन कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगढ़ी की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 की जवाब प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है कि

1. ख. नं. 113 राजवीरसिंह व ख.नं. 99 प्रार्थी गंगासिंह के बीच में कटानी रास्ता है उस रास्ते की भूमि को भी राजवीर सिंह काश्त करता है उस कटानी रास्ते की भूमि को छोड़ कर दोनों तरफ पत्थरगढी कराई जावे। शेष कथन प्रार्थी को स्वंय साबित करने हैं।
2. मद सं. 2 प्रार्थना पत्र प्रार्थी का संबंध नहीं है खातेदार को स्वंय साबित करने है।
3. प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के पड़ौस में पश्चिमी तरफ कृषि भूमि ख.नं. 140 लिख रखा है वो गलत है वहां आबादी भूमि है वा पश्चिमी की तरफ ख.नं. 133 की काफी भूमि पड़ौस वालो ने दबा रखी है।
4. प्रार्थी ने उत्तर में कृषि भूमि ख .नं. 563/122 लिख रखा है जो गलत है। उत्तर में 30—40 घरो की कॉलोनी बसी हुई है जब कॉलोनी बसी तब भी राजवीरसिंह ने कोई एतराज़ नही किया वा कॉलोनी बसे 30—40 साल हो गये है।
5. ख. नं. 133 के पूर्व में सड़क ख.नं. 134 की सीमा है वो मी 20 साल पहले से बनी हुई है वो भी पक्का निशान है वा सड़क के पूर्व में मुझ प्रार्थी का खेत ख.नं. पुराना 135 वा नया ख.नं. 533/135 है उस खेत का सीमा ज्ञान मैंने पिनाक 23.2.2003 में करा कर चारो तरफ पत्थरगढी करवाई थी वो आज भी मौजूद है वा उसकी फोटो प्रति संलग्न है।
6. ख.नं. 133 के दक्षिण में ख.नं. 144 है उसमें पंचायत भवन बना हुआ है जो दिनांक 4—1—2022 के बाद में बना है जो नक्शे के अनुसार नहीं बना तब भी राजवीरसिंह ने कोई एतराज़ नहीं किया।
7. प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 गलत, मिथ्या मनगढन्त अंकित की गई है प्रार्थी स्वयं झगड़ालू व्यक्ति है जो नाहक ही मुझे अप्रार्थी को तंग परेशान करता रहता है। प्रार्थी ने ख. नं. 113 रोही दान्दू के सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनया है इसलिए प्रा. पत्र चलने योग्य नहीं है। खारिज किया जावे।
8. प्रार्थनापत्र की मद से 6 का संबंध मुझे अप्रार्थी से नहीं है जबाब को आवश्यकता नहीं है।
9. प्रार्थना पत्र की मद से 7 के जबाब की आवश्यकता नहीं है।
10. मद से 8 प्रार्थना पत्र कानूनी है जबाब की आवश्यकता नहीं है।
11. अंतिम मद मय अनुतोष प्रार्थनापत्र गलत होने से अस्वीकार किया जाता है प्रार्थी ने उक्त खसरे में रिहायशी मकान वा पक्का निर्माण कर रखा है जिससे पत्थरगढी संभव नहीं है इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।
12. प्रार्थी ने अदालतवाला में पत्थरगढी हेतु आवेदन किया जो गलत है क्योकि पत्थरगढी तब ही संभव है जब पक्षकारों के मध्य सीमा सम्बन्धित विवाद हो जबकि प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के साथ ऐसा कोई [illegible], नपती या पुलिस एफ आई आर की प्रति कोई संलग्न नहीं की है जिससे [illegible] साबित है कि पक्षकारों के मध्य विवाद है इसलिए [illegible] किया जावे एवं प्रार्थी को निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार चूरू के मार्फत नपती हेतु अधिनस्थ अधिकारी के यहाँ भिजवाया जावे एव प्रार्थनापत्र इसी [illegible] पर खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

11. दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी खसरा नंबर 113 व 133 का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी व नक्शा) में प्रार्थी का हक व हिस्सा स्पष्ट है। पड़ौसियों द्वारा सीमाओं के चिन्ह (मेड़ / पत्थर) खुर्द–बुर्द कर दिए गए हैं, जिसके कारण आए दिन विवाद व तनाव की स्थिति बनी रहती है। धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक खातेदार का यह वैधानिक अधिकार है कि वह अपनी भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाए।प्रार्थी सीमांकन हेतु आवश्यक राजकीय शुल्क जमा कराने को तैयार है। अधिकांश अप्रार्थीगण ने सीमांकन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, जिससे स्पष्ट है कि सीमांकन न्यायहित में है। जहाँ तक अप्रार्थी संख्या 5 की आपत्ति का प्रश्न है, वह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सीमाओं को लेकर विवाद है। सीमांकन से किसी का हक कम नहीं होता, बल्कि रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार को सीमांकन हेतु निर्देशित किया जावे।

12. वहीं अप्रार्थी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है। प्रार्थी स्वयं एक झगड़ालू व्यक्ति है और उसने खसरा नंबर 113 और 99 के बीच स्थित 'कटानी रास्ते' पर अवैध कब्जा कर रखा है। मौके पर प्रार्थी ने पक्का निर्माण और रिहायशी मकान बना रखा है। राजस्थान भू–राजस्व (सीमा चिन्ह) नियमों के अनुसार, जहाँ पक्का निर्माण हो या घनी आबादी हो, वहाँ पत्थरगढ़ी किया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। प्रार्थी केवल पत्थरगढ़ी के बहाने रास्ते की भूमि को अपने नाम करवाना चाहता है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 113 के सभी सह–खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। नियमानुसार, बिना सभी प्रभावित पक्षकारों को शामिल किए सीमांकन की कार्यवाही दूषित मानी जावेगी। प्रार्थी ने सीधे इस न्यायालय में वाद पेश किया है, जबकि उसे पहले तहसीलदार के समक्ष नपती हेतु आवेदन करना चाहिए था। अतः यह प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

13. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupant within three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

14. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

15. आज यह प्रार्थना—पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीमा—ज्ञान (सीमांकन) एवं पत्थरगढ़ी के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी राजवीर सिंह ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दान्दू में स्थित उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 113 रकबा 8.1569 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 133 रकबा 1.8717 हैक्टेयर की सीमाओं को पड़ौसियों द्वारा खुर्द—बुर्द कर दिया गया है। प्रार्थी का तर्क है कि सीमाओं को लेकर उभय पक्षकारान के मध्य तनाव व्याप्त रहता है, अतः राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमांज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाई जाना आवश्यक है।

जवाब व आपत्तियां: अप्रार्थी संख्या 1 (ग्राम पंचायत) व 3 ने सीमांकन पर अनापत्ति प्रकट की। अप्रार्थी संख्या 5 (गंगा सिंह) द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि प्रार्थी ने खसरा संख्या 113 व 99 के मध्य स्थित 'कटानी रास्ते' पर अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही, मौके पर पक्का निर्माण एवं आबादी क्षेत्र होने के कारण पत्थरगढ़ी किया जाना विधिक रूप से संभव नहीं बताया गया।

न्यायालय का निष्कर्ष व विधिक विवेचना: धारा 128 का उद्देश्य: राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 128 एवं तत्संबंधी नियमों का मूल उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मौके पर सीमाओं को सुनिश्चित करना है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जिससे किसी के विधिक अधिकारों का हनन नहीं होता, बल्कि स्थिति स्पष्ट होती है।

अतिक्रमण के संबंध में: अप्रार्थी संख्या 5 का यह तर्क कि प्रार्थी ने रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, सीमांकन के विरुद्ध आधार नहीं हो सकता। इसके विपरीत, सीमाज्ञान के माध्यम से ही यह आधिकारिक रूप से पुष्ट हो सकेगा कि सार्वजनिक रास्ता कहाँ स्थित है और किस पक्षकार द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

पक्का निर्माण: मौके पर पक्का निर्माण होना सीमांकन में बाधक नहीं है। जहाँ पत्थर गाड़ना संभव न हो, वहाँ राजस्व टीम द्वारा निशान लगाकर सीमा दर्शायी जा सकती है।

पक्षकारान की उपस्थिति: सीमांकन के समय संबंधित पड़ौसियों एवं सह—खातेदारों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसे मौके पर नोटिस देकर सुनिश्चित किया जा सकता है।

निष्कर्ष: पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि उभय पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद विद्यमान है। भू—राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ रखने एवं भविष्य में शांति भंग की संभावना को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

समाप्त करने हेतु राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 113 रकबा 8.1569 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 133 रकबा 1.8717 हैक्टेयर, स्थित रोही दान्दू तहसील एवं जिला चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक की निष्पक्ष टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में राजस्व अभिलेखों एवं नक्शे के अनुसार विधिवत सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत विधिवत नोटिस/सूचना तामील करवाते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। सीमांकन के दौरान यदि कोई 'कटानी रास्ता' या 'आम रास्ता' रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उसे अनिवार्य रूप से चिन्हित किया जावे ताकि अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके। यह आदेश केवल सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी तक सीमित रहेगा तथा इससे किसी भी पक्ष के स्वामित्व, कब्जा अथवा विभाजन संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि, सीमा आबादी क्षेत्र से लगती है और वास्तविक सीमा स्पष्ट नहीं होने के कारण विवाद/अनिश्चितता उत्पन्न होने की स्थिति में सीधी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाकर प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में बेदखली का दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 17.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested